राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1586

दिनांक 10/7/17

प्रेषित :—

तहसीलदार चौहटन

विषय :— राजस्व आवेदन सं. 246 / 2013 अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. अनवान मेहराराम वगैरा बनाम तहसीलदार चौहटन में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.17 की प्रमाणित प्रति अनुसार तरमीम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 246/2013

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थीगण– 1. मेहराराम 2.उगराराम 3.जैसाराम पि.बालाराम 4.पनाराम पुत्र मगाराम 5.सांवलाराम 6.मगनाराम 7.चैनाराम 8.माधुराम पि. विरधाराम 9.चंपादेवी पत्नि विरधाराम जाति जाट, निवासी नंदरामाणियों की ढाणी तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री वीरमाराम धारासर

विप्रार्थीगण वकील –

निर्णय

दिनांक :– ....

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सरहद मौका नंदरामणियों की ढाणी, पटवार मण्डल धारासर तहसील चौहटन में खसरा सं. 326/258, खसरा सं. 327/258, खसरा सं. 345/293 के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण के खातेदारी जो से होकर बजरंगपुरा फांटा से बांकाणा तक सड़क निर्माण हेतु सर्वे कर नक्शे में तरमीम लाईन सड़क बनने से पूर्व ही तत्कालीन पटवारी ने कायम कर दी जो दक्षिण से उतर की ओर प्रार्थीगण के अविभाजित खेत खसरा सं. 293 से 298 के भीतर होकर उतर दिशा में खसरा सं. 218 के भीतर होकर चली है। यह लाईन जो सड़क निर्माण से पूर्व डाली गई है, वह सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से रेखांकित की गई है। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मौके पर जो सड़क डामर की बनाई वह इसी नजरी नक्शे में काली स्याही से बताई गई और लाल रेखा के सहारे चलती है, इस प्रकार सड़क की तरमीम गलत है। इसी प्रकार जो सरकारी विद्यालय बना हुआ है वह उस स्थान पर स्थित है जहां नक्शे में अंग्रेजी अक्षर एस अंकित है। परन्तु तरमीम वहां की गई जो नजरी नक्शे में लाल रेखाओं से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में सड़क व विद्यालय की तरमीम त्रुटिपूर्ण है जबकी आवश्यक यह है कि रेकर्ड खातेदारी, मौके की स्थिति व नक्शा इन तीनों का मिलान होना आवश्यक है। इसी कारण तरमीम दुरस्ती का यह आवेदन न्यायालय में कर मौजा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नंदरामणियों की ढाणी के खसरा सं. 326/258, 327/258, 345/293 के सड़क व विद्यालय की लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। वादग्रस्त के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। वादग्रस्त खसरों के संबंध में सहायक अभियन्ता को इस आशय का आदेश जारी किया गया कि प्रार्थी द्वारा समर्पित भूमि पर सड़क बनी हुई है या अन्यत्र बनी हुई, के संबंध में जाच रिपोर्ट हेतु लिखा गया । सार्वजनिक विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई । जो पत्रावली शामिल की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प धारासर में दिनांक 04.07.2017 को पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई, जो पत्रावली शामिल की गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि कि प्रार्थीगण का आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार किया जाकर मौजा नंदरामणियों की ढाणी, तहसील चौहटन में खसरा सं. 326/258, 327/258, 345/293 की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प धारासर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन